मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-08.02.2017 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C. /L.P.A/S.L.P. मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। अतः सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में समसमय (एक सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

1. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विभिन्न विभागों में निगरानी कांड से संबंधित अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित मामलों पर चर्चा किया गया। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा निगरानी विभाग को यह निर्देश दिया गया कि वे D.O. Letter के माध्यम से विभिन्न विभागों में लंबित मामलों की संख्या स्पष्ट करते हुए संबंधित विभागों को पत्र के माध्यम से सूचित करें, ताकि वे अपने विभागों में लंबित उक्त मामलों पर कार्रवाई कर सकें। साथ ही मुख्य सचिव, बिहार द्वारा अभियोजन स्वीकृति से संबंधित मामलों के संबंध में सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि उक्त मामले में कार्रवाई किए जाने हेतु किसी भी परिस्थिति में विलंब न किया जाये।

2. बैठक में राज्य सरकार के विरुद्ध गत माह माननीय उच्च न्यायालय में दायर मामलों के ऊपर चर्चा करते हुए बताया गया कि गत माह राज्य सरकार के विरुद्ध 596 CWJC के नये मामले दायर किए गए तथा 609 मामलों मे प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि लम्बित मामलों में शीघ्रता से प्रतिशपथ-पत्र दायर किए जाये ताकि मामलों को निष्पादन कराकर उनकी संख्या में कमी लायी जा सके।

3. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बैठक में अवमाननावाद (MJC) से संबंधित दिनांक-11.02.2017 को आयोजित होने वाली लोक अदालत के संबंध में चर्चा किया गया। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि लोक अदालत में रखे जाने वाले वर्ष 2013 के पूर्व के वैसे मामले जिनमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, उनमें संबंधित अधिवक्ता से तीन माह के समय की मांग करने का अनुरोध किया गया है ताकि आवश्यक कार्रवाई किया जा सके। लोक अदालत में रखे जाने वाले ऐसे मामले जिनमें अनुपालन कर दिया गया है उन मामलों को विभाग के द्वारा संबंधित अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर अविलम्ब समाप्त कराने का निदेश दिया गया।

4. बैठक में प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लोक अदालत में सूचीबद्ध अवमाननावाद के मामलो की विवरणी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इस संदर्भ में लोक अदालत में रखे जाने वाले अवमाननावाद के मामलों की आवश्यकतानुसार सूची संबंधित विभागों को उपलब्ध कराने का निर्देश मुख्य सचिव महोदय द्वारा सचिव, विधि विभाग को दिया गया।

5. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी विभागों को बताया गया कि राज्य सरकार के विरुद्ध दायर होने वाले मामलों पर कार्रवाई हेतु सभी विभागों में पर्याप्त मात्रा में अधिवक्ता उपलब्ध करा दिया गया है। अतः निदेश दिया गया कि विभाग से संबंधित लंबित मामलों पर शीघ्रता से कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा समाज कल्याण विभाग में CWJC के 560 लंबित मामले जिनमें प्रतिशपथ-पत्र दायर नहीं किया गया है पर चर्चा की गई। इसी प्रकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में CWJC के 472 लंबित मामलों पर भी चर्चा की गई। संबंधित विभागों द्वारा बताया गया कि इस क्रम में कार्रवाई किया जा रहा है तथा शीघ्र ही लंबित मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर कर दिया जायेगा। उसी प्रकार ग्रामीण विकास विभाग में MJC के 13 लंबित मामलों पर भी बैठक में चर्चा की गई। संबंधित विभाग के द्वारा बताया गया कि अगले माह तक इस संख्या को कम कर लिया जायेगा।

7. सचिव, विधि विभाग द्वारा बैठक में बताया गया कि उक्त बैठक हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग, नगर एवं आवास विभाग, पर्यटन विभाग, पि0 वर्ग तथा अति0 पि0 वर्ग कल्याण विभाग एवं गृह विभाग के द्वारा बैठक के दिन ही प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में सचिव, विधि विभाग के द्वारा बैठक में बताया गया कि विलंब से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने पर आंकड़ों को सूचीबद्ध करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इस संदर्भ में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी विभागों को ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

8. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा CWJC के लंबित मामलों में प्रतिशपथ पत्र दायर करने के संबंध में **सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं वित्त विभाग** के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया गया। समीक्षा के क्रम में MJC के लंबित मामलों में कारणपृच्छा दायर करने में **शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन विभाग एवं लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग** का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया।

9. CWJC एवं MJC के मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने के संबंध में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों के संबंध में बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा चर्चा किया गया जो निम्न है:- CWJC :-

विभाग का नाम	प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु लंबित मामले	प्रतिशपथ पत्र दायर किए गए मामलों की संख्या
समाज कल्याण विभाग	563	3
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	496	24
पंचायती राज विभाग	241	6
जल संसाधन विभाग	180	10
ग्रामीण विकास विभाग	144	1

MJC :-

विभाग का नाम	कारणपृच्छा दायर करने हेतु लंबित मामले	कारणपृच्छा दायर किए गए मामलों की संख्या
पर्यावरण एवं वन विभाग	10	0
पंचायती राज विभाग	12	0
ग्रामीण विकास विभाग	14	1
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	25	2
कृषि विभाग	16	2

सुकुमारी
13/7/12

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा खेद व्यक्त करते हुए लंबित मामलों में अविलम्ब प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करने हेतु संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को निर्देश दिया गया।

10. समीक्षा के क्रम में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार CWJC के मामले में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने हेतु सर्वाधिक मामले **शिक्षा विभाग (1326 मामले), स्वास्थ्य विभाग (673 मामले), समाज कल्याण विभाग (560), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (472 मामले) एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (245)** के पाये गये। इसी प्रकार MJC के मामले में कारणपृच्छा दाखिल करने हेतु सर्वाधिक मामले **शिक्षा विभाग (138 मामले), स्वास्थ्य विभाग (24 मामले), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विभाग (23 मामले), कृषि विभाग (14 मामले) एवं ग्रामीण विकास विभाग (13 मामले)** के पाये गये। लम्बित मामलों में शीघ्र प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दायर करने हेतु मुख्य सचिव, बिहार द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निर्देश दिया गया, ताकि मामलों की संख्या में कमी लाया जा सके।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

14/7/17

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/....940....**जे0 पटना, दिनांक**-17.07-17....

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/7/17
सरकार के सचिव, बिहार।